



पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर
(छ.ग. शासन के अधिनियम क्रमांक 26 सन् 2004 द्वारा स्थापित)
कोनी-बिरकोना मार्ग , बिलासपुर (छ.ग.) 495009

दूरभाष क्रमांक : (07752) 210315, 210312 फैक्स : (07752) 213073
www.pssou.ac.in Email - registrar@pssou.ac.in

क्र. / ३१ / अकादमी / 2018

बिलासपुर, दिनांक 13/02/2018

अधिसूचना

विश्वविद्यालय के शोध अध्यादेश क्र. 02 के अंतर्गत दिनांक 16.01.2018 को संपन्न हुई प्रबंधन विषय की शोध उपाधि समिति के निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के रेग्यूलर पी-एच.डी. पाठ्यक्रम में निम्नलिखित शोधार्थियों का पंजीयन किया जाता है-

स. क्र.	शोधार्थी का नाम	शोध शीर्षक	शोध निदेशक का नाम	पंजीयन तिथि	पंजीयन क्रमांक	मोड
1.	लाव मन्ना (LAO MANNA)	GREEN MARKETING PRACTICES IN HOSPITALS OF CHHATTISGARH : A STUDY IN THE CONTEXT OF ASSOCIATION OF HEALTH CARE PROVIDERS INDIA (AHPI) STANDARDS	डा. पुष्कर दुबे	26/05/2017	Mgt./17/01	रेग्यूलर पार्ट-टाईम
2.	पी.वलुका कुमारी (P.VAKULA KUMARI)	EMPLOYEE PERFORMANCE AND THEIR ORGANISATIONAL COMMITMENT IN RELATION TO HRM PRACTICES IN SELECTED PUBLIC AND PRIVATE SECTOR BANKS IN INDIA	डा. पुष्कर दुबे	26/05/2017	Mgt./17/02	रेग्यूलर पार्ट-टाईम
3.	सतीश कुमार साहू (SATISH KUMAR SAHU)	A STUDY ON ADMINISTRATION OF SELECTED HOSPITALS WITH SPECIAL REFERENCE TO BEHAVIOUR OF CUSTOMERS IN CHHATTISGARH	डा. पुष्कर दुबे	26/05/2017	Mgt./17/03	रेग्यूलर पार्ट-टाईम

नोट -

1. उक्त पंजीयन निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति करने पर ही मान्य होगा-
 - i- अध्यादेश में उल्लेखित अग्रिम शोध शुल्क
 - ii- 200 कार्य-दिवस की उपस्थिति विश्वविद्यालय में देने का शपथ-पत्र
 - iii- नियोक्ता द्वारा वर्तमान में जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र
 - iv- प्रवजन प्रमाण-पत्र

महत्वपूर्ण निर्देश -

1. आप विश्वविद्यालय के शोध अध्यादेश क्र. 02 में उल्लेखित नियमों/प्रावधानों के अधीन कार्य करेंगे।
2. पंजीयन तिथि से प्रत्येक छः माह में शोध निदेशक द्वारा अनुशंसित छः माही प्रगति प्रतिवेदन शुल्क के साथ जमा करना अनिवार्य होगा। यदि निरंतर दो छः माही प्रगति प्रतिवेदन असंतोषजनक पाये गये अथवा एक वर्ष तक प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ तो संबंधित शोधार्थी का शोध पंजीयन स्वयमेव निरस्त हो जायेगा।

प्रतिलिपि :

पृ.क्र. ३५...../अकादमी/2018

1. निज सचिव कुलपति को कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. वित्ताधिकारी को आवश्यक प्रबंध हेतु।
3. शोध निदेशक को इस निवेदन के साथ प्रेषित कि वे उपर लिखित शोध अध्यादेश क्र. 02 के प्रावधानानुसार कार्य संपादित करें तथा अपने शोधार्थी से करवायें।
4. विभागाध्यक्ष विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. प्रभारी ग्रन्थालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. संबंधित नस्ती प्रति।

Sealed

R. D. Singh
कुलसचिव

बिलासपुर, दिनांक 13/02/2018

R. D. Singh
कुलसचिव